**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 905**

**23 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**मुजफ्फरनगर में अमृत 2.0 के तहत प्रगति**

**905. श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुजफ्फरनगर नगर निकाय क्षेत्र में निर्बाध पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अमृत 2.0 के तहत स्वीकृत 117.36 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की वर्तमान वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का मुजफ्फरनगर जैसे उभरते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरों में स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई-बस सेवाओं को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2026 में अतिरिक्त धन आवंटित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुजफ्फरनगर में औद्योगिक कचरे और शहरी ठोस कचरे के शत-प्रतिशत वैज्ञानिक प्रसंस्करण लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के तहत अपनाई गई नई तकनीकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने मुजफ्फरनगर के हरित पट्टी क्षेत्रों में पार्कों और सामुदायिक केंद्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत कोई डिजिटल डेटा साझाकरण प्रणाली लागू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत, राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार है। अमृत 2.0 के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य ने मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद (एनपीपी) में 244.90 करोड़ रुपये की 4 परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:

| **परियोजना का नाम** | **अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)** | **स्थिति** |
|---|---|---|
| मुजफ्फरनगर जल आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव योजना क्षेत्र 6, 7, 8, 9 और 10 | 117.36 | डीपीआर तैयार |
| मुजफ्फरनगर जल आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव योजना क्षेत्र 1, 2, 3, 4 और 5 | 119.95 | एनआईटी जारी |
| किदवई नगर, मुजफ्फरनगर में 32.5 एमएलडी शोधित जल के पुनः उपयोग की परियोजना | 0.50 | परियोजना पूर्ण |
| वार्ड नंबर-30, जनकपुरी एनपीपी मुजफ्फरनगर में 24x7 जल आपूर्ति योजना | 7.08 | ठेका दिया गया |

(ख) पीएम- ई बस सेवा योजना 16 अगस्त, 2023 को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) सहित शहरी क्षेत्रों में सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 3-40 लाख के बीच की आबादी वाले शहर और 3 लाख से कम आबादी वाले अन्य राज्यों की राजधानियां इसके लिए पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सहभागी शहरों (फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, करनाल एवं अलवर) के लिए कुल 450 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। योजना के अंतर्गत बिहाइंड-द-मीटर (बीटीएम) पावर तथा सिविल डिपो इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) हेतु कुल 35.77 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता अनुमोदित की गई है। योजना के अंतर्गत केवल इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराए जाने के कारण उत्सर्जन में कमी लाने तथा सतत् शहरी आवाजाही को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश राज्य ने पीएम-ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत भागीदारी नहीं की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ई-बसों का शहर-वार विवरण निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | राज्य | शहर | स्वीकृत बसें | संबद्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में) | संवितरित राशि (करोड़ रुपए में) | जारी मूल स्वीकृति (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हरियाणा | फरीदाबाद | 100 | 16.41 | - | - |
| 2 | | गुरुग्राम | 100 | 5.72 | - | - |
| 3 | | रोहतक | 50 | - | - | - |
| 4 | | पानीपत | 50 | - | - | - |
| 5 | | करनाल | 50 | - | - | - |
| 6 | राजस्थान | अलवर | 100 | 13.64 | 11.33 | 1.16 |
| कुल | | | **450** | **35.77** | **11.33** | **1.16** |

(ख) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के तहत सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), अपशिष्ट से खाद (डब्ल्यूटीसी) संयंत्र, बायो-मिथेनेशन संयंत्र, रिफ्यूज़्ड डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) प्रसंस्करण सुविधाएं, अपशिष्ट से बिजली (डब्ल्यूटीई) संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट संयंत्र, कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट सहित सैनिटरी लैंडफिल जैसी विभिन्न प्रकार की नगरपालिका अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए निधि की केंद्रीय वितीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है।

राज्य अपने संसाधनों, प्रौद्योगिकी, स्थलाकृति, शामिल कचरे के प्रकार, जलवायु स्थितियों आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का चयन करते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण शहरी भारत में स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। उपचार प्रौद्योगिकी का चयन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/राज्य सरकारों के लिए खुला है, जिससे वे केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) की नियमावली तथा समय-समय पर जारी परामर्शों में रेखांकित किसी भी विश्वसनीय प्रौद्योगिकी का चयन कर सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपना सकते हैं:

(i) बायो-मिथेनेशन, माइक्रोबियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन अथवा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों के जैव-स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण;

(ii) अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रियाएं, जिनमें रिफ्यूज़ डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) तथा सॉलिड वेस्ट-आधारित पावर प्लांट्स अथवा सीमेंट किल्न्स के लिए फीडस्टॉक के रूप में आपूर्ति शामिल है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एसबीएम-यू 2.0 के तहत एकीकृत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से मुजफ्फरनगर में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जाता है। मुजफ्फरनगर में लगभग 175 टन प्रतिदिन (टीपीडी) ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए, शहर में 355 टीपीडी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के साथ-साथ 15 टीपीडी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को विंडरो कंपोस्टिंग विधि के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जबकि पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को पुनर्प्राप्ति के लिए एमआरएफ में अलग किया जाता है। नॉन-बायोडिग्रेडेबल कंबस्टिबल फ्रैक्शन (आरडीएफ) को सह-प्रसंस्करण के लिए अधिकृत सीमेंट उद्योगों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उसका वैज्ञानिक निपटान एवं उपयोग सुनिश्चित होता है।

(घ) मुजफ्फरनगर के ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में पार्कों और सामुदायिक केंद्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत कोई डिजिटल डेटा शेयरिंग सिस्टम कार्यान्वित नहीं किया गया है।

*****